संख्या– 2846 / III–2/06–05(प्रा.आ.)/03

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 1 अक्टूबर, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर में लोअर जगतपुरा, रूद्रपुर में कल्याणी व्यू सेतु निर्माण का पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–1734/8सी. दिनांक 02.06.2006 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0–590/लो.नि.2/03–05(प्रा.आ.)/03 दिनांक 29 मार्च, 2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत कार्य का पुनरीक्षित आगणन रूपये 158.44 लाख की लागत के पुनरीक्षित आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 143.50 लाख (रूपये एक करोड़ तैंतालीस लाख पचास हजार मात्र) की लागत के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि शासनादेश सं0–590/लो.नि.2/03–05(प्रा.आ.)/ 04 दिनांक 05 फरवरी,2004 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 70.78 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी उक्त धनराशि को घटाते हुए रू0 72.72 (रूपये बहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) की पुनरीक्षित वृद्वि में इस कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए कोई भी अतिरिक्त वृद्वि स्वीकार्य नही होगी ।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

7. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को सर्मपित कर दी जायेगी।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

14. उक्त योजना पर व्यय संगत मद में (मार्ग के चालू कार्य) के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही किया जाये।

**15. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–308/XXVII(2)/2006 दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 2816 (1)/III–2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 04 वां वृत्त,लो.नि.वि., हल्द्वानी ।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, रूद्रपुर।
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग–2/3/ गार्ड बुक उत्तरांचल शासन

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।